निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 36 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **सहायक चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के माह 05/2002 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर०एन०यादव, श्री राजेश डोभाल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री हरिओम, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 07/08/2018 से 13/08/2018 तक श्री सी.एस.बोहरा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>**इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी0 मुखर्जी, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 23.05.2002 से 29.05.2002 तक श्री राम सिंह ,संप्रेक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण दिनांक 23.05.2002 से 27.05.2002 तक में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 03/1996 से 04/2002 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2002 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i**) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** समस्त उत्तरखण्ड की चीनी मिलो पर प्रभावी कार्य संपादन,गन्ना क्रय केन्द्रों के निरीक्षण तथा वाद दायर करना।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (+) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2002-03	-	-	27.15	27.15	-	-		
2003-04	-	-	22.99	22.99	-	-		
2004-05	-	-	33.85	30.49	-	-		
2005-06	-	-	39.40	35.38	-	-		
2006-07	-	-	38.00	35.03	-	-		

2007-08	-	-	40.89	37.60	-	-		
2008-09	-	-	48.78	40.88	-	-		
2009-10	-	-	68.87	63.02	-	-		
2010-11	-	-	59.03	49.53	-	-		
2011-12	-	-	71.61	48.77	-	-		
2012-13	-	-	54.82	42.48	-	-		
2013-14	-	-	63.62	47.14	-	-		
2014-15	-	-	71.58	44.36	25.00	25.00		
2015-16	-	-	47.94	39.77	25.58	25.58		
2016-17	-	-	44.68	31.51	17.17	17.17		
2017-18	-	-	92.72	59.60	11.64	11.64		

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	आधिक्य `	बचत `
	------- शून्य ----					

(ii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'सी'** श्रेणी की है।विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

गन्ना एवं चीनी का विभागीय ढांचा

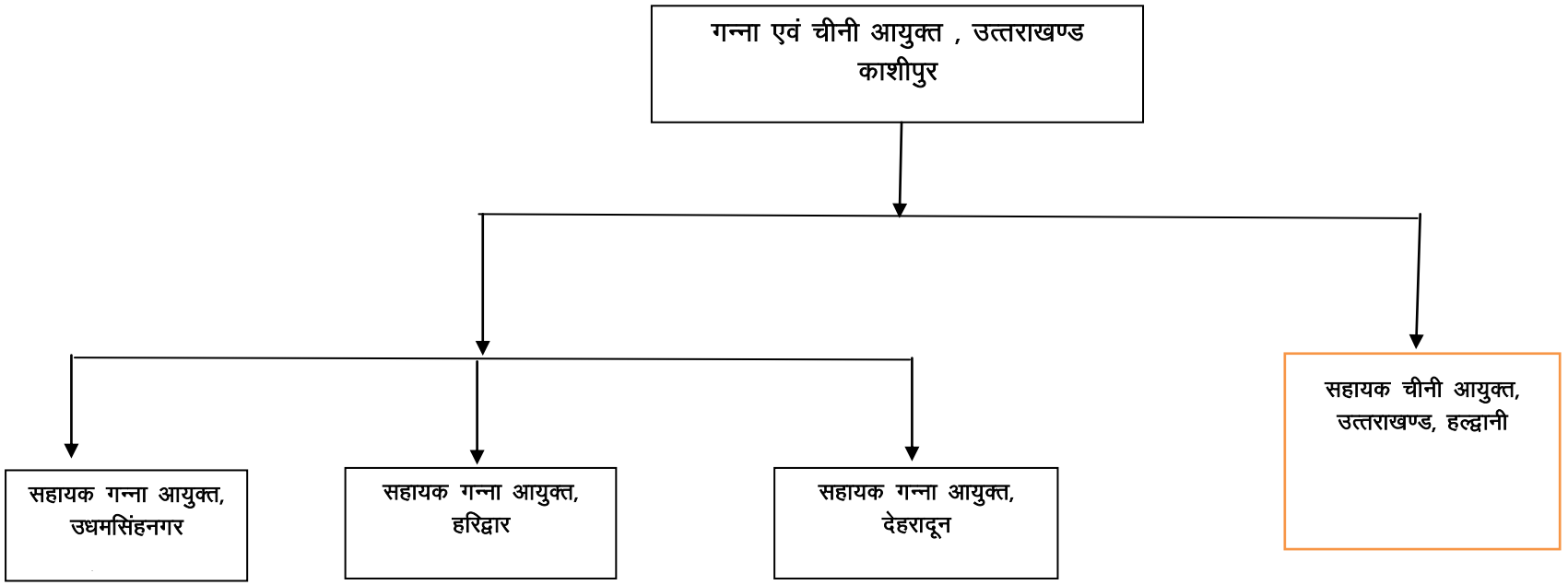

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय सहायक चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियोके निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2003, 07/2006, 10/2009, 07/2011, 12/2014, 03/2016 एवं 06/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर–1 पेराई सत्र वर्ष 2016–17 में माह जुलाई 2017 से जनवरी 2018 के मध्य क्रय किये गये गन्ना खरीद पर चीनी मिलों से देय रू0 235.74 लाख के गन्ना क्रयकर की धनराशि का अप्राप्त रहना।

उत्तराखण्ड गन्ना क्रय कर अधिनियम 1961 के यथावधि संशोधित नियम अध्याय 11–ए, नियम 11 एम के उपनियम (।) (प/क पर प्रदर्श) के अनुसार चीनी मिल स्वामियों/अध्यासीयों को प्रत्येक माह की समाप्ति पर सात दिवस के अन्दर उपलब्ध कराने का प्रावधान था। जिसमें मासिक विवरणी प्रपत्र–20, पी0एल0ए0 एवं जमा कोषागार चालान मूल रूप से उपलब्ध कराना आवश्यकीय था।

कार्यालय सहायक चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के अभिलेखों की नमूना जांच (08/2018) में पाया गया कि विभाग द्वारा बार–बार अनुरोध (12.09.2017, 13.10. 2017, 04.01.2018) करने के उपरान्त भी निजी चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2016–17 में माह जुलाई 2017 से जनवरी 2018 के मध्य क्रय किये गये गन्ना खरीद पर आधारित देय गन्ना क्रयकर की धनराशि रू0 235.74 लाख सम्प्रेक्षा तिथि तक अवशेष थी जिसका विवरण निम्नवत् था :–

क्रम सं0	चीनी मिल का नाम	कुल गन्ना खरीद (लाख कुन्तल में)	2.00 रू0 प्रति कुन्तल की दर से देय गन्ना क्रय कर (लाख रुपये में)	वसूल गन्ना क्रयकर (लाख रुपये में)	अवशेष गन्ना क्रयकर
1.	किच्छा	32.48	64.96	55.44	9.52
2.	लक्सर	100.06	200.12	85.00	112.48
3.	इकबालपुर	61.21	122.42	91.00	28.28
4.	लिब्बरहेडी	68.11	136.22	45.82	85.46
	योग				**235.74**

`आगे सम्प्रेक्षा में पाया गया कि विभाग के अनुरोध पर जनपद के कलेक्टर एवं कर निर्धारण प्राधिकारी हरिद्वार द्वारा चीनी मिलों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने से पूर्व न्यायिक हित में दिनांक 14.03.2018 को साक्ष्य सहित जवाब देने हेतु नोटिस निर्गत की गई। चीनी मिलों द्वारा कलेक्टर के नोटिसों का अभी तक कोई जवाब नही दिया गया था जबकि विभाग द्वारा दिनांक 25.06.2018 में चीनी मिलों को पुनः स्मरण भी कराया गया, परन्तु चीनी मिल स्वामियों/अध्यासीयों द्वारा ऐसा नही किये जाने के बावजूद भी उनके विरूद्ध सम्प्रेक्षा तिथि तक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित नही की गयी थी।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी महोदय से पुनः पत्राचार किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय के स्तर से 100% अधिकतम पेनाल्टी लगाये जाने का प्रावधान है। इकाई के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है।

अतः पेराई सत्र वर्ष 2016–17 में माह जुलाई 2017 से जनवरी 2018 के मध्य क्रय किये गये गन्ना खरीद पर चीनी मिलों से देय रू0 235.74 लाख के गन्ना क्रय कर की धनराशि का अधिनियम के प्राविधानों के प्रतिकूल तथा विभाग द्वारा बार–बार अनुरोध करने एवं जिला अधिकारी महोदय के नोटिस के उपरान्त भी विगत 07 माह से अप्राप्त रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:-1 उत्तरांचल गन्ना (पूर्ति तथा विनियम) नियमावली, 2003 मे पैतृक शासन के अनुरूप संशोधन न करने से विभाग को वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक `15.72 लाख तक की अपेक्षित राजस्व हानि एवं अनियमित राजस्व प्राप्ति लेखा शीर्ष मे जमा करना।

उत्तराखंड शासन की अधिसूचना संख्या-59 दिनांक-20.01.2003 के अनुसार उत्तर प्रदेश मे संचालित Sugarcane (Regulation of Supply & Purchase) Rules,1954 को प्रदेश मे लागू किया गया एवं उसका नाम परिवर्तित कर उत्तरांचल गन्ना (पूर्ति तथा विनियम) नियमावली, 2003 रखा गया।

उक्त नियमावली के पैरा 87 के अनुसार गन्ना तौल कार्य हेतु तैनात तौल लिपिकों को लाइसेंस देने के लिए लाइसेंस फीस की धनराशि `1/=प्रति कर्मचारी की दर से जमा करने का प्रावधान था। वर्ष 2008 मे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने नोटिफ़िकेशन न0 672/C.D./XLVI-3-08-3(31)-2006 dated:-13 March 2008 द्वारा तौल लिपिकों को अनुबंधित करने के लिए उक्त पैरा 87 को संशोधित करते हुए गन्ना तौल कार्य हेतु कर्मचारियों को लाइसेंस देने के लिए लाइसेंस फीस की धनराशि `1/प्रति कर्मचारी से बढ़ाकर `500/प्रति कर्मचारी कर दी गयी थी।

परंतु उत्तराखंड शासन द्वारा पैतृक उत्तर प्रदेश के Sugarcane(Regulation of Supply & Purchase) Rules,1954 मे अभी तक उत्तर प्रदेश शासन के अनुरूप वर्ष 2008 के उपरांत भी लाइसेंस फीस मे राज्य तौल लिपिकों हेतु लाइसेन्स फीस दर `1/प्रति लाइसेन्स के स्थान पर `500/=प्रति लाइसेन्स का संशोधन नही किया गया। जिससे उत्तराखंड राज्य तौल लिपिकों हेतु लाइसेन्स फीस वर्ष 1954 मे निर्धारित दर `1/प्रति लाइसेन्स कर्मचारीयों से ही अभी तक लिया जा रहा है। परिणाम स्वरूप उत्तराखंड शासन को वर्ष 2008 के उपरांत `499/=प्रति लाइसेंस शुल्क कम प्राप्ति हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि कार्यालय सहायक चीनी आयुक्त, उत्तराखंड, हल्द्वानी के द्वारा वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक कुल 3151 लाइसेन्स जारी किये गए। लाइसेन्स फीस `1/प्रति की दर से `3151.00 की धनराशि लाइसेन्स फीस के रूप मे जमा की गयी। यदि उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तर प्रदेश शासन की तरह ही लाइसेन्स फीस मे वर्ष 2008 के उपरांत दरों मे संशोधन किया होता तो शासन को `1572349.00 का राजस्व अधिक प्राप्त होता। जिसका विवरण निम्न हैं-

वर्ष वार उत्तराखंड स्थित चीनी मिलो मे गन्ना क्रय हेतु गन्ना तौल कार्य हेतु कर्मचारियों को जारी तौल लाइसेन्स की सूची

क्रम स0	पैराई सत्र	कुल जारी तौल लाइसेन्स	वसूल की गयी लाइसेन्स फीस की कुल धनराशि (@`1/ लाइसेन्स)	नियमावली के अपेक्षित दरो के अनुसार वसूली योग्य राशि (@`500/ लाइसेन्स)	कम राजस्व प्राप्ति राशि
1	2012-13	571	571.00	285500.00	284929.00
2	2013-14	574	574.00	287000.00	286426.00
3	2014-15	555	555.00	277500.00	276945.00
4	2015-16	519	519.00	259500.00	258981.00
5	2016-17	484	484.00	242000.00	241516.00
6	2017-18	448	448.00	224000.00	223552.00
	योग	3151	3151.00	1575500.00	**1572349.00**

इसके अतिरिक्त कार्यालय के लेखा अभिलेखों की जांच मे यह भी पाया गया हैं कि कार्यालय द्वारा तौल लिपिकों से प्राप्त धनराशि एवं समस्त राजस्व प्राप्तियाँ को गन्ना एवं चीनी विभाग के विभागीय राजस्व प्राप्ति मुख्य लेखा शीर्ष 0401-"फसल कृषि कर्म" मे न जमा कर बिक्री कर विभाग के मुख्य राजस्व प्राप्ति लेखा शीर्ष 0040- "बिक्री व्यापार पर कर" मे जमा किया जाता हैं। उल्लेखनीय हैं कि विभाग द्वारा अनियमित रूप से दूसरे विभाग की राजस्व प्राप्ति लेखा शीर्ष मे विगत कई वर्षो से समस्त राजस्व प्राप्तियों को जमा किया जाता रहा हैं।

उक्त की और इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि नियमावली की धारा 70 एवं 87 मे शासन द्वारा अभी तक कोई संशोधन न किए जाने से विभाग द्वारा अधिनियम वर्ष 1954 की दरों से शुल्क लिया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा प्रारम्भ से ही राजस्व प्राप्तियों को लेखा शीर्ष 0040-"बिक्री व्यापार पर कर" मे जमा किया जाता हैं।

अत: नियमावली मे वर्ष 2008 के उपरांत संशोधन नही करने से विभाग को वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक `15.72 लाख का अपेक्षित हानि हुई हैं जो संशोधन होने की तिथि तक जारी रहेगा एवं विभागीय प्राप्तियों का उचित लेखांकन न किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग–।।।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
	शून्य	**शून्य**	**शून्य**	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

शून्य

भाग– IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

––– शून्य –––

भाग–V

आभार

1.कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **सहायक चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये :

(i)शून्य

2. सतत् अनियमितताएं :

(i)शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
(1)	श्री सुबोध कुमार मिश्रा	सहायक चीनी आयुक्त (11/2000 से 07/2006 तक)
(2)	श्री नवीनचन्द्र	सहायक चीनी आयुक्त (08/2006 से 01/2009 तक)
(3)	श्री वी0 एन0 मिश्र	सहायक चीनी आयुक्त(02/2009 से 09/2010 तक)
(4)	सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी	(10/2010 से 04/2013 तक)
(5)	श्री महेश चन्द्र गुप्ता	सहायक चीनी आयुक्त (05/2013 से 12/2015 तक)
(6)	श्री रामबदल वर्मा	सहायक चीनी आयुक्त(01/2016 से 03/2016 तक)
(7)	श्री अशोक कुमार	सहायक चीनी आयुक्त(04/2016 से 08/2016 तक)
(8)	श्री कपिल मोहन	सहायक चीनी आयुक्त(09/2016 से अबतक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **सहायक चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/आर्थिक क्षेत्र–।।, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र –।।